fiscal year to ensure that domestic prices of industrial products remain competitive.

5. Strengthening of public distribution system and its expansion in RPPS areas.

6. Reduction of fiscal deficit in the budget for current financial year to 5.5 per cent of GPP.

7. Containing monetary growth to less than 15.5 per cent in 1995-96 through a series of measures.

Rupee value against U.S Dollar

*8. SHRI TARA CHARAN MAJUMDAR:
SHRI VISHNU KANT SHASTRI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether a historic low of Indian Rupee against the U.S. Dollar has been recorded in the recent past;

(b) if so, the details thereof with reasons therefor;

(c) whether Government propose to take some measures to ensure that further lowerment of Indian Rupee does not take place in future; and

(d) if so, the details thereof; and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. DEBIPROSAD PAL): (a) and (b) The exchange value of the rupee against the US dollar reached an all time low of Rs. 38.0 per U.S. Dollar on 6.2.1996. Short-term speculative factors were the major reason.

(c) and (d) The Reserve Bank of India announced on 7.2.1996 some strong measures to counter speculation through leads and lags in foreign trade payments and receipts. These included: (i) termination of the scheme on Post Shipment Export Credit denominated in US dollar, (ii) freeing of interest rate on Post-Shipment Export Rupee Credit for over 90 days, (iii) increase in interest surcharge on import finance from 15 per cent to 25 per cent and (iv) monitoring by the RBI of cancellation of forward contracts and intra-day trading transactions of authorised dealers. These measures came into effect from 8.2.1996. Since the announcement of these measures, there has been stability in the foreign exchange market. The rupee-dollar rate recovered to Rs. 36.56 per US dollar on 23.2.1996. The exchange rate developments are monitored continuously both by the Government and the RBI and additional measures will be taken, as and when necessary, to counter excessive volatility in the exchange rate and to maintain orderly market conditions.

Control on Financial Deals

*9. SHRI GOVINDRAO ADIK: will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have seen the report submitted by the IMF consequent on the banking disasters in United States and Singapore urging tighter Government control over financial deals as referred to in the news-item appearing in the 'Times of India' dated 24th August 1985;

(b) if so, whether Government have issued any instructions to the banks on the subject in the country; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. DEBIPROSED PAL: (a) Government have seen the IMF's August 1995 publication of "International Capital Market Developments, Prospects and Policy Issues". The report on International Capital Markets is an annual publication and an integral element of the IMF's surveillance of developments in international financial markets. For the period ending April

1995, the report, *inter-alia*, covers the collapse of the Barings Bank (UK & Singapore).

(b) and (c) Supervision of the banks is conducted by the Reserve Bank of India. RBI, has issued necessary guidelines and instructions for this purpose. RBI carries out periodic inspections and insists upon the Banks to have concurrent audits. In 1994, two institutions, namely, the Board for Financial Supervision and a separate Department of Supervision were set up in the Reserve Bank of India to ensure tighter control and Surveillance over Banks, Financial Institutions and Non-Banking Financial Companies.

अश्लील फिल्मों पर प्रतिबंध

*10. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में अनेक अश्लील फिल्में दिखायी जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने ऐसी फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कौन-से प्रभावी कदम उठाये हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी कितनी फिल्मों पर प्रतिबंध लगाया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) सरकार को फिल्मों में अश्लील दृश्यों के बारे में शिकायतें/प्रेस रिपोर्टें समय-समय पर प्राप्त होती रहती हैं। इन रिपोर्टों की पुष्टि हेतु किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड के प्रमाण पत्र के बाद ही सभी फिल्में प्रदर्शित की जाती हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अश्लीलता के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा किसी फिल्म पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया।

जीवन बीमा निगम/साधारण बीमा निगम द्वारा शुरू की गई आवास-योजनाएं

*11. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र में जीवन बीमा निगम/साधारण बीमा निगम द्वारा शुरू की गई आवास योजनाओं का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) राजकोट और भावनगर में जीवन बीमा निगम के विभागीय कार्यालयों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान इस क्षेत्र की आवास योजना के अन्तर्गत आवेदकों को उपलब्ध कराई गई राशियों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस क्षेत्र के मध्य आय वर्ग के लोगों को अधिक से अधिक आवासीय ऋण उपलब्ध कराने के लिए जीवन बीमा निगम को उचित निर्देश दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल): (क) से (घ) भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय साधारण बीमा निगम ने सूचित किया है कि वे देश में आवास योजनाएं नहीं चलाते हैं। योजना आयोग आवास क्षेत्र में ग्रामीण एवं शहरी समाजोन्मुख योजनाओं सहित राज्यों की विकास योजनाओं की सहायता के लिए पारस्परिक सहमति प्राप्त ऋणों के रूप में दी जाने वाली जीवन बीमा निगम/साधारण बीमा निगम की निधियों को प्रत्येक वर्ष आबंटित करता है। इसके अतिरिक्त, जीवन बीमा निगम पालिसीधारकों को "अपना घर बनाओ" योजना, कर्मचारी सहकारी आवास योजना, व्यक्तिगत कर्मचारी आवास योजना, एजेंटों को ऋण देने के लिए योजना और यतिगत कर्मचारी आवास (फ्लैट) योजना के अन्तर्गत ऋण प्रदान करता है। जीवन बीमा निगम ने 10 अगस्त, 1993 से पालिसीधारकों को "अपना घर बनाओ" योजना के अन्तर्गत ऋण देना बन्द कर दिया है। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा सौराष्ट्र के कच्छ क्षेत्र में गिरवी पर स्वीकृत किए गए आवास ऋणों को दर्शाने वाला एक विवरण, अनुपत्र के रूप दिया गया है। [देखिये परिशिष्ट 176, अनुपत्र संख्या 1] जीवन बीमा निगम द्वारा गिरवी पर प्रदान किये जाने वाले ऋण सभी पालिसीधारकों को दिए जाते हैं, जिसमें मध्य आय वर्ग के पालिसीधारक भी शामिल हैं।